

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 31.01.2024

निर्णय उद्घोषित : 07.02.2024

कि.नि.पु. 91/2022

श्रीमती निर्मल

...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री साहिल चोपड़ा, सुश्री आद्रिशा
मल्होत्रा, सुश्री साक्षी नंद एवं सुश्री
अंजली सिसोदिया, अधिवक्तागण

बनाम

श्रीमती गुणवंत कौर सेठी

...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री पी.के. रावल सह श्री तरुण
अग्रवाल, अधिवक्तागण

कोरम:

न्यायाधीश गिरीश कठपालिया

न्या. गिरिश कठपालिया

1. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 25ख(8) के प्रावधानों के तहत दायर की गई इस पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने विद्वान किराया नियंत्रक के दिनांक 06.04.2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता/किरायेदार की विफलता के कारण वृहद परिसर सं. एफ 103क, बाली नगर, नई दिल्ली के सामने वाले

हिस्से में एक दुकान (इसके बाद "विषय परिसर" के रूप में संदर्भित) के संबंध में अधिनियम की धारा 14(1)(ड) के तहत बेदखली याचिका पर प्रतिवाद की अनुमति हेतु आवेदन दायर करने के लिए अनुमति दी गई थी तथा याचिकाकर्ता/किरायेदार को अधिनियम की धारा 14(7) के तहत इसे खाली करने हेतु छह महीने का समय दिया गया था। नोटिस की तामिल पर, प्रत्यर्थी/मकान मालिक अधिवक्ता द्वारा पेश हुआ। मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

2. संक्षेप में, वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं।

2.1 वर्तमान प्रत्यर्थी ने स्वयं को उक्त वृहद परिसर का मालिक होने का दावा करते हुए विषय परिसर के संबंध में याचिकाकर्ता/किरायेदार के खिलाफ अधिनियम की धारा 14(1)(ड) के तहत बेदखली याचिका दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि उसके अब मृत पति सरदार अजीत सिंह सेठी ने दिनांक 06.11.1982 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से उक्त वृहद परिसर का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, इसके बाद दिनांक 05.10.1995 को पंजीकृत एक हस्तांतरण विलेख के माध्यम से तथा सरदार अजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात्, उक्त वृहद परिसर को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में मिला था। जिसने प्रत्यर्थी/मकान मालिक के पक्ष में दिनांक 22.08.2016 को पंजीकृत त्यजन विलेख निष्पादित किया, जिससे वह उक्त

वृहद परिसर की एकमात्र एवं पूर्ण मालिक बन गई; उसने उक्त वृहद परिसर के पास परिसर सं. एफ103बी को विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदा है; जब उक्त वृहद परिसर उनके पति, श्री छोटे लाल द्वारा खरीदा गया था, तो वर्तमान याचिकाकर्ता के अब मृत पति पहले से ही एक किरायेदार के रूप में विषय परिसर पर कब्जा करके रह रहे थे तथा वहां मेसर्स एवरग्रीन ऑटो स्टोर के नाम एवं अभिनाम के तहत एक दुकान चला रहे थे। श्री छोटे लाल की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी - वर्तमान याचिकाकर्ता ने किरायेदार के रूप में विषयगत परिसर पर कब्जा कर रखा था; उक्त वृहद परिसर के भूतल पर मुख्य सड़क के सामने दो दुकानें हैं तथा उनमें से एक विषयगत परिसर है, जबकि दूसरे पर एक अन्य किरायेदार श्री हरजिंदर कुमार हांडा का कब्जा है, जो हांडा रेफ्रिजरेशन के नाम तथा अभिनाम के तहत अपना व्यवसाय चला रहे हैं; दिनांक 25.06.1984 के करार के माध्यम से सरदार अजीत सिंह ने अपने जीवनकाल में श्रीमती कुलबीर कौर को उक्त वृहद परिसर के भूतल एवं पहली मंजिल पर एक अन्य हिस्से में किरायेदार के रूप में शामिल किया; सरदार अजीत सिंह की मृत्यु के बाद, वृहद परिसर के सभी तीन किरायेदारों ने वर्तमान प्रत्यर्थी को मकान मालिक के रूप में पेश किया तथा उसे किराया देना शुरू कर दिया; किरायेदार श्रीमती कुलबीर कौर, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत संरक्षण की हकदार नहीं होने के कारण, वर्तमान प्रत्यर्थी ने कब्जे की वसूली हेतु एक सिविल वाद दायर किया, जिसका निर्णय उनके पक्ष में आया, अंततः उनकी किरायेदारी का हिस्सा श्रीमती कुलबीर कौर एवं

उनके परिवार द्वारा खाली कर दिया गया; दूसरे किरायेदार हरजिंदर सिंह हांडा के खिलाफ वह अलग से बेदखली कार्यवाही कर रही थी; इस समय में वर्तमान प्रत्यर्थी एवं उसका परिवार श्रीमती कुलबीर कौर द्वारा खाली किए गए उक्त वृहद परिसर के हिस्से पर कब्जा कर रहे थे तथा वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मुख्य सड़क से उस हिस्से में कोई प्रवेश नहीं होने के कारण ऐसा नहीं कर सके; इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी एवं उसके परिवार, विशेष रूप से उस पर निर्भर उसके बेटे को विषय परिसर की वास्तविक आवश्यकता थी तथा उनके पास कोई उचित वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं था; निकटवर्ती परिसर सं. एफ103बी से, जिसमें भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल शामिल है, अपने जीवनकाल के दौरान सरदार अजीत सिंह ने भूतल पर मेसर्स सिंह ऑटोमोबाइल्स के नाम एवं अभिनाम के तहत अपना व्यवसाय शुरू किया तथा भंडारण के स्टॉक हेतु ऊपरी मंजिलों का उपयोग करना शुरू कर दिया; वर्तमान प्रत्यर्थी के परिवार में उसके दो विवाहित बेटे और एक विवाहित बेटी है, छोटे बेटे की 15 साल की एक बेटी और 24 साल का बेटा है जबकि बड़े बेटे के 25 साल और 23 साल के दो बेटे हैं; सरदार अजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनका व्यवसाय उनके बड़े बेटे ने संभाल लिया, जबकि छोटे बेटे ने गुरु हरकिशन नगर में 25,000/- रुपये के मासिक किराए पर एक परिसर ले लिया। जहां से उसने रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान उस व्यवसाय को बंद करना पड़ा तथा अब उनके पास कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं है, इसलिए

वह परिसर खाली होने के बाद वहां बुटीक या कोई अन्य व्यवसाय शुरू करने का उद्देश्य रखता है।

2.2 वर्तमान प्रत्यर्थी/मकान मालिक द्वारा दायर बेदखली याचिका दिनांक 26.02.2022 को विद्वान किराया नियंत्रक के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई हेतु आई तथा याचिकाकर्ता/किरायेदार को दिनांक 06.04.2022 को वापस करने योग्य निर्धारित प्रारूप में समन जारी किए गए। दोनों पक्षकारों के अनुसार, सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से भेजे गए समन याचिकाकर्ता/किरायेदार को दिनांक 03.03.2022 को तामील हुये, जबकि पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए समन दिनांक 09.03.2022 को तामील हुये। लेकिन दिनांक 18.03.2022 तक, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने प्रतिवाद की अनुमति हेतु कोई आवेदन दायर नहीं करने का विकल्प चुना। बल्कि, माना कि याचिकाकर्ता/किरायेदार ने प्रतिवाद की अनुमति हेतु कभी कोई आवेदन दायर नहीं किया था। इसके बजाय, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने दिनांक 14.03.2022 को विद्वान किराया नियंत्रक के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि उसकी उपस्थिति को अभिलेख पर लिया जाए तथा उसे पेपर बुक की प्रतिलिपि के बाद से प्रतिवाद की अनुमति हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाये। उन्हें जो समन भेजा गया था वह अधूरा था क्योंकि इसमें 54 पृष्ठों में से केवल 53 पृष्ठ थे और अधिकांश कागजात पढ़ने योग्य नहीं थे। याचिकाकर्ता/किरायेदार का उक्त आवेदन

विद्वान किराया नियंत्रक द्वारा निर्धारित तिथि हेतु सूचीबद्ध किया गया था। दिनांक 06.04.2022 को, जब मामला उठाया गया, याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान किराया नियंत्रक को सूचित किया कि वर्तमान प्रत्यर्थी/मकान मालिक ने अपूर्ण पेपर बुक के संबंध में उनके नोटिस का उत्तर भेजा था, जिसमें बताया गया था कि पृष्ठ सं. 54 केवल वकालतनामा था, जिसे देना आवश्यक नहीं था। प्रक्रिया सर्वर की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, जिसमें याचिकाकर्ता/किरायेदार पर 55 पृष्ठों की तामील का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, विद्वान किराया नियंत्रक ने याचिकाकर्ता/किरायेदार की याचिका को खारिज कर दिया और बेदखली का आदेश पारित किया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता/किरायेदार कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर और **पृथ्वीपाल सिंह बनाम सतपाल सिंह (मृत) के मामले में अपने वि.प्र. के माध्यम से**, (2010) 2 एससीसी 15, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर प्रतिवाद की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने में विफल रहे थे। किराया नियंत्रक के पास प्रतिवाद की अनुमति हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए समय विस्तार देने की कोई शक्ति नहीं थी।

2.3 इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका।

3. अंतिम बहस के दौरान, याचिकाकर्ता/किरायेदार के अधिवक्ता ने मुझे उपरोक्त बातों से अवगत कराया तथा दलील दी कि आक्षेपित बेदखली आदेश

कानून की नजर में रक्षणीय नहीं है। याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि निर्धारित प्रारूप में समन दिनांक 03.03.2022 को पंजीकृत डाक के माध्यम से और दिनांक 09.03.2022 को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से तामील किया गया था, प्रतिवाद की अनुमति हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित समय दिनांक 18.03.2022 को समाप्त हो गया, इस तिथि तक ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। लेकिन याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि समन के साथ आपूर्ति की गई पेपर बुक पूरी नहीं थी और इसका अधिकांश भाग पढ़ने योग्य नहीं था, इसलिए विद्वान किराया नियंत्रक को प्रतिवाद की अनुमति हेतु आवेदन दायर करने के लिए समय बढ़ाना चाहिए। याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि विद्वान किराया नियंत्रक ने समय का विस्तार नहीं किया है, यह न्यायालय **निदेशक, शिक्षा निदेशालय व अन्य बनाम मोहम्मद शमीम व अन्य**, (2020) 266 डीएलटी 1 के मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार शक्तियों का प्रयोग कर सकती है तथा याचिकाकर्ता/किरायेदार के बचाव पर विचार करने के लिए विद्वान किराया नियंत्रक को निर्देश के साथ समय विस्तार प्रदान करें।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्था/मकान मालिक के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और दलील दी कि शीर्ष न्यायालय की

न्यायिक पूर्वनिर्णय के आलोक में, विद्वान किराया नियंत्रक ने प्रतिवाद की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने हेतु समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्थी/मकान मालिक के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों पक्षकारों के अधिवक्तागण के बीच हुए पत्राचार का भी हवाला दिया और इस आरोप का पुरजोर खंडन किया कि समन के साथ आपूर्ति की गई पेपर बुक अधूरी या अपठनीय थी।

5. विभिन्न न्यायिक घोषणाओं से निकली कानूनी स्थिति को संक्षेप में समझना उचित होगा, जो अधिनियम की धारा 25ख(8) के प्रावधानों के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के लिए मार्गदर्शक आलोक होना चाहिए।

5.1. वर्ष 1976 में एक संशोधन के माध्यम से, अध्याय 3क को दिनांक 01.12.1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव से दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में शामिल किया गया था, ताकि बेदखली के दावों से संबंधित सारांश परीक्षणों को बड़े पैमाने पर उन स्थितियों से निपटा जा सके जहां मकान मालिक प्रामाणिक था। किराये के आवास की आवश्यकता ऐसी एक स्थिति पहले से ही अधिनियम की धारा 14(1(ड) के रूप में कानूनी किताब में थी तथा ऐसी एक और ऐसी स्थिति धारा 14क के रूप में वर्ष 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद, वर्ष 1988 में संशोधन ने अधिनियम की धारा 14ख में धारा 14घ के रूप में ऐसी और स्थितियां जोड़ीं।

5.2 अध्याय 3क की व्यापक योजना किरायेदार को प्रतिवाद करने से रोकती है अधिकार के रूप में उन विशिष्ट स्थितियों की बेदखली कार्यवाही, जब तक कि किरायेदार नियंत्रक से प्रतिवाद की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता; और यदि प्रतिवाद अस्वीकार कर दिया जाता है, तो बेदखली आदेश का आवश्यक रूप से पालन किया जाएगा। संपूर्ण विचार यह है कि एक मकान मालिक जो वास्तविक रूप से किराए के परिसर की मांग करता है, उसे लंबे समय तक बेदखली का इंतजार नहीं करना चाहिए, हालांकि साथ ही, किरायेदार को प्रभावी अवसर दिए बिना किसी भी अन्य नागरिक परिणाम की तरह बेदखली का सामना नहीं करना चाहिए ऐसी सिविल कार्यवाही में अपना बचाव करना चाहिये। न्यायालय को संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से मकान मालिक को बेदखल करने के अधिकार तथा किरायेदार के किरायेदारी जारी रखने के अधिकार के बीच सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से एक अच्छा संतुलन बनाना होगा। न्यायालय को यह भी सचेत रहना होगा कि केवल पूछने या नियमित तरीके से प्रतिवाद की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे अधिनियम के अध्याय 3क के पीछे का उद्देश्य विफल हो जाएगा। ऐसा तभी होता है जब किरायेदार द्वारा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगने वाले आवेदन में उठाई गई दलीलें एवं दलीलें एक विचारणीय मुद्दा बन जाती हैं और तथ्यों पर विवाद यह मांग करता है कि प्रतिवाद की अनुमति वाले गवाहों की प्रति-परीक्षा के माध्यम से सच का पता लगाने के बाद मामले का उचित रूप से निपटान किया जाये। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुणागुण के आधार पर

किया जाना चाहिए न कि किसी सामान्यीकृत अनुमान के आधार पर। न्यायालय ऐसी स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है जहां किरायेदार द्वारा दायर किया गया मामला कार्यवाही को लंबा खींचने के एकमात्र उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है ताकि मकान मालिक निराशा में हार मान ले, जो बदले में कानून की प्रक्रिया को विफल कर देगा।

5.3 विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 25ख की उप-धारा (8) के तहत प्रावधान धारा 25ख के तहत निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार किराया नियंत्रक द्वारा पारित किरायेदार परिसर के कब्जे की वसूली के आदेश की किसी भी अपीलीय जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की धारा 25ख(8) के प्रावधान की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलेगा कि यह विशेष रूप से "पुनरीक्षण" शब्द का उपयोग नहीं करता है। लेकिन पूरी तरह से पढ़ा गया प्रावधान दर्शाता है कि उक्त परंतुक के तहत प्रदत्त शक्ति एक पुनरीक्षण शक्ति है, जो इस अर्थ में अपीलीय शक्ति से पूरी तरह से अलग है कि अपीलीय शक्ति अपील न्यायालय को पूरे मामले की जांच करने एवं नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है, जबकि पुनरीक्षण शक्ति काफी हद तक जाँच और पर्यवेक्षण तक सीमित है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण कानून की सीमा के भीतर काम करते हैं। अधिनियम की धारा 25ख(8) का परंतुक उच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण को इस हद तक सीमित करता है कि उसके समक्ष आक्षेपित आदेश नियंत्रक

द्वारा धारा 25ख के तहत "कानून के अनुसार" पारित किया गया था। यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 25ख(8) में सीमित तरीके से जांच के दायरे को हटाने हेतु अधिनियमित परंतुक को इस तरह से समझना और उपयोग करना होगा कि यह कुछ विशिष्ट प्रकार के मामलों में त्वरित उपचार के विधायी उद्देश्यों को विफल न करे। यह भी सामान्य है कि अधिनियम की धारा 25ख(8) के परंतुक द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पहले निर्णय के न्यायालय पर अधीक्षण की प्रकृति में है, जिसमें - कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, उच्च न्यायालय अपीलीय जांच के मापदंडों का प्रयोग करके पहले निर्णय के न्यायालय पर अपने विचार को प्रतिस्थापित और प्रतिस्थानिक नहीं कर सकता है। ऐसी कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय के लिए किराया नियंत्रक द्वारा दर्ज किए गए तथ्य से अलग तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति नहीं है, जब तक कि किराया नियंत्रक द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष इतने अनुचित न हों कि किसी भी किराया नियंत्रक ने उपलब्ध सामग्री पर इसे दर्ज न किया हो।

6. अधिनियम की धारा 25ख(8) के प्रावधान के तहत इस न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र के अत्यंत सीमित दायरे के बारे में उपरोक्त वर्णित कानूनी स्थिति को देखते हुए, विद्वान किराया नियंत्रक ने रिकॉर्ड के आधार पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया है, जिससे याचिकाकर्ता/किरायेदार की याचिका को

खारिज कर दिया गया है कि समन के साथ उसे प्रदान की गई पेपर बुक की प्रति अधूरी थी और/या अवैध थी, यह न्यायालय उस मुद्दे की जांच करने का साहस नहीं करेगी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता/किरायेदार को न्यायिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने या प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने से कुछ भी नहीं रोकता था, भले ही उसे दी गई पेपर बुक अधूरी या अवैध हो। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता/किरायेदार को दो बार दिए गए समन निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट रूप से उन्हें प्रतिवाद की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने हेतु कानून द्वारा निर्धारित समय और ऐसा करने में विफलता के परिणामों की जानकारी देते थे। लेकिन दिनांक 03.03.2022 आत्यन्तिक रूप निर्धारित प्रारूप में समन की तामील के बावजूद, वह प्रतियों की आपूर्ति हेतु एक आवेदन दायर करने के लिए दिनांक 14.03.2022 तक प्रतीक्षा करती रही और उस ढिलाई को समझाने के तनिक भी चेष्टा नहीं की गई है।

7. जहां तक याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मोहम्मद शमीम (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के निर्णय पर अवलम्ब लिया है और इस न्यायालय से देरी को माफ करने के विवेक का प्रयोग करने का आह्वान करते हुए, इस अवलम्ब में त्रुटि है क्योंकि याचिकाकर्ता/किरायेदार ने आज तक प्रतिवाद की अनुमति के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है। जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा तय किया गया है, इस न्यायालय को बेदखली के आदेश को रद्द करने

का अधिकार केवल तभी होगा जब किरायेदार निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवाद की अनुमति के लिए आवेदन करने से अपने नियंत्रण से परे कारणों को रोका गया हो। और यदि किरायेदार ने प्रतिवाद की अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई ठोस मामला बनाया है।

8. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में भी, याचिकाकर्ता/किरायेदार ने विशेष रूप से किसी स्पष्ट आधार का अनुरोध नहीं किया, जिस पर किराया नियंत्रक द्वारा बेदखली याचिका को चुनौती देने की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। बहस के दौरान भी, एक भी बयान नहीं दिया गया था, जिसमें उन आधारों के गुणागुण पर चुनौती दी गयी थी जिन पर बेदखली याचिका दायर की गई थी।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं मिलती है, इसलिए इसे बरकरार रखा जाता है और पुनरीक्षण याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

गिरिश कठपालिया
(न्यायमूर्ति)

फरवरी 07,2024/अस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।